भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2158
उत्तर देने की तारीख 9 दिसंबर, 2024
सोमवार, 18 अग्रहायण 1946 (शक)

महिला उद्यमियों के लिए योजनाएं

2158. श्री दुरई वाइको:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं का प्रतिशत कितना है, जो उद्यमियों को कुशल बनाने के उद्देश्य से कार्य करती हैं और जिन्हें विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए तैयार किया गया है; और

(ख) वर्ष 2014-24 के बीच सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई प्रत्येक योजना में महिलाओं की संख्या के साथ-साथ नामांकित और नौकरी पाने वाली महिलाओं के प्रतिशत का वर्ष-वार, राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार ने महिलाओं में उद्यमशीलता की मानसिकता और क्षमता का निर्माण करने, महिला-नीत वाले उद्यमों के विकास को समर्थन देने तथा महिलाओं में उद्यमशीलता विकास के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से महिलाओं में उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। ऐसी पहलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिला उद्यमियों सहित उद्यमियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख स्कीमों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर में कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्न्यन कार्यक्रम प्रदान करता है।

वर्ष 2014-24 के बीच एमएसडीई द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक स्कीम में महिलाओं की संख्या के साथ-साथ नामांकित और रोजगार पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत, वर्ष-वार, राज्य-वार और स्कीम-वार विवरण **अनुबंध-III** से **V** में हैं और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों का विवरण **अनुबंध-VI** में है।

अनुबंध I

'महिला उद्यमियों के लिए योजनाएं' के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2158 के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में।

महिलाओं में उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई की विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. **संकल्प स्कीम के तहत क्षमता-निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मार्गदर्शन और सहायता के माध्यम से उद्यमशील माहौल को सुदृढ करना** – एमएसडीई, एनआईईएसबीयूडी और आईआईई के माध्यम से, समाज के विभिन्न हाशिए पर रह गए वर्गों और महिलाओं के उद्यमशीलता इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के समर्थन से एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो एमएसडीई की विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त केंद्र प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमिता की भावना को सृजित करना, संरक्षण करना और बढ़ावा देना है। संस्थानों ने वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक परियोजना के तहत 62101 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें 45262 महिलाएं शामिल हैं।

2. **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएमजनमन)** (केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमें सम्मिलित) - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत, एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थान - एनआईईएसबीयूडी और आईआईई के माध्यम से कौशल और उद्यमशीलता घटक को कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम देश भर के 18 राज्यों में भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं। नवंबर 2023 में इसकी शुरुआत से अब तक इस परियोजना के तहत कुल 38396 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 32591 महिलाएं हैं।

3. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)** (एमएसडीई की एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम) के अंतर्गत एनआईईएसबीयूडी और आईआईई ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों के बाद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए संभावित उद्यमियों का चयन किया गया। संस्थानों ने लक्षित समूहों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है और शिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है। संस्थान ने वित्त-वर्ष 2023-24 से वित्त-वर्ष 2024-25 में परियोजना के तहत कुल 101934 शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 29343 महिलाएं हैं।

4. **पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए पायलट आधार पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना–** निसबड और आईआईई ने एमएसडीई के सहयोग से पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए पायलट आधार पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना को लागू किया है। इस परियोजना में एक सप्ताह का क्लासरूम प्रोग्राम और 21 सप्ताह का मेंटरिंग और हैंड-होल्डिंग सपोर्ट शामिल है। संस्थानों ने वित्त वर्ष 2023-24 में परियोजना के तहत कुल 1744 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें 1205 महिलाएं शामिल हैं।

5. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में ईडीसी और इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन -** इस परियोजना के तहत, आईआईई पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी) और इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन कर रहा है। परियोजना की मुख्य विशेषताओं में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में 30 ईडीसी और चार आईसी की स्थापना, विकास और प्रबंधन, 30 लक्षित जिलों से 600 सलाहकारों की पहचान और प्रशिक्षण, 30 लक्षित जिलों से 3600 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण, चार आईसी में 100 व्यावसायिक विचारों को विकसित करना, अभिसरण के माध्यम से 30 ईडीसी में 900 व्यावसायिक विचारों का समर्थन करना और चार आईसी में शीर्ष 50 इनक्यूबेटर्स के लिए सीड फंड प्रदान करना शामिल है। आईआईई ने वित्त वर्ष 2023-24 से परियोजना के तहत कुल 1909 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 1889 महिलाएं हैं।

6. जेल संवासियों के बीच उद्यमशीलता विकास

निसबड ने एमएसडीई के सहयोग से 13 मई 2022 को जेल संवासियों में बीच उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना लागू की है, जिसका उद्देश्य क्षमता-निर्माण, सलाह, सहायता और इनक्यूबेशन सहायता के माध्यम से जेल संवासियों के बीच उद्यमशीलता की भावना को पैदा करना, प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है।

इस परियोजना को नारी बंदी निकेतन, लखनऊ, मॉडल जेल, लखनऊ और सेंट्रल जेल, वाराणसी में लागू किया गया है। संस्थान ने वित्त-वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान परियोजना के तहत कुल 460 शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें 140 महिलाएँ शामिल हैं।

7. पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना

एनआईईएसबीयूडी और आईआईई ने वाराणसी, हरिद्वार, पंढरपुर, बोधगया, कोल्लूर और पुरी के पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित किया। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा आजीविका गतिविधियों को पुनः शुरू करके मंदिर शहर की उद्यमशीलता गतिविधियों को उत्प्रेरित करना और मौजूदा उद्यमों को सहयोग देकर संभावित उद्यमियों की पहचान करना, उन्हें उद्यम स्थापित करने और उद्यमों के प्रबंधन के लिए सलाह देना था। दोनों संस्थानों ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 और 2024-25 के

दौरान परियोजना के तहत कुल 8962 शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें 6241 महिलाएँ शामिल हैं।

8. पीएमजेवीएम के तहत प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई)

पीएमजेवीएम (प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन) के तहत प्रधानमंत्री वनधन योजना (पीएमवीडीवाई) भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है, जिसे 5 नवंबर, 2019 को असम में प्रारम्भ किया गया था और इसे राज्य में असम प्लेन ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीडीटीसी) द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसमें जनजातीय मामलों का विभाग नोडल एजेंसी है, जबकि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड) प्रायोजक एजेंसी है। राज्य में स्कीम के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संसाधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस स्कीम का उद्देश्य राज्य के आदिवासी समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाना है, ताकि उन्हें लघु वनोपज (एमएफपी) के मूल्य संवर्धन के माध्यम से स्थायी आजीविका मिल सके और उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) से संबंधित आदिवासी लाभार्थियों की पहचान बेसलाइन-सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है और निकटवर्ती क्षेत्रों में एसएचजी को वन धन विकास केंद्र क्लस्टर (वीडीवीकेसी) बनाने के लिए पंजीकृत किया जाता है, जिसमें कुल 300 लाभार्थी होते हैं।

9. कारीगर मेलों और हाटों में कार्यशालाओं का आयोजन

एनआईईएसबीयूडी ने 20 अक्टूबर 2022 को एमएसडीई द्वारा समर्थित एक परियोजना को लागू किया है, जिसका उद्देश्य कारीगरों को क्षमता-निर्माण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना और उन्हें उद्यमशीलता संबंधी ज्ञान प्रदान करना है। संस्थान ने वित्त-वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान परियोजना के तहत 342 महिलाओं सहित कुल 592 शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है।

अनुबंध-II

महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग:** कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र (एसी और एबीसी) योजना अप्रैल, 2002 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विकास का समर्थन करने और सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमा धारकों और कृषि में इंटरमीडिएट के अलावा कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर के साथ विज्ञान स्नातकों के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का 44% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए है। महिला उम्मीदवारों को विशेष रूप से महिला कृषि उद्यमियों के लिए ऋण सुविधा और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पति/माता-पिता को सह-बद्ध करने जैसे विशेष विचार भी दिए जाते हैं।

2. **ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)** - एमओआरडी महिला उद्यमियों सहित सभी उद्यमियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यक्रम लागू कर रहा है। आरएसईटीआई एक बैंक प्रमुख-एमओआरडी वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। एमओआरडी आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और गरीब ग्रामीण उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का खर्च भी वहन करता है। 18-45 वर्ष की आयु का कोई भी बेरोजगार युवा जो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार करने की योग्यता रखता है और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान रखता है, वह आरएसईटीआई में प्रशिक्षण ले सकता है। कुछ प्रशिक्षित उम्मीदवार नियमित वेतन वाली नौकरी/मजदूरी रोजगार की भी अपेक्षा कर सकते हैं।

3. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** - एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके समीप रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो विशेष श्रेणियों जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों से संबंधित महिला लाभार्थियो की सहायता करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त महिला उद्यमी इकाइयों की संख्या

10,553 है, जिसमें 488.60 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी है, जो 28.11.2024 तक अनुमानित 84424 श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करती है।

4. **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** - नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के इरादे से सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया पहल शुरू की। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

i. महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप्स को इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स स्कीम में 10% फंड महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित है।

ii. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप्स के लिए एक अनूठा क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो महत्वाकांक्षी और स्थापित महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्ट-अप यात्रा में पहचान और समर्थन देने के लिए है। कार्यशालाएँ तकनीक, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं। कार्यशालाएँ उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करती हैं।

iii. महिला उद्यमियों के लिए एक वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम ज़ोन स्टार्टअप्स के सहयोग से आयोजित किया गया था ताकि महिलाओं के नेतृत्व वाले टेक स्टार्टअप्स को प्रो-बोनो एक्सेलेरेशन सपोर्ट दिया जा सके।

iv. स्टार्ट-अप इंडिया हब: स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिज़ाइन किया गया है। इस पेज में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

V. असेंड स्टार्ट-अप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्ट-अप के लिए महिला कार्यशालाएँ: सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, महत्वाकांक्षी उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्ट-अप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला – असेंड (स्टार्ट-अप कैलिबर और उद्यमशीलता अभियान को गति देना) का आयोजन किया। इसके अलावा, कार्यशालाएँ पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ आयोजित की जाती हैं।

Vi. महिला उद्यमशीलता मंच (डब्ल्यूईपी): सरकार ने महिला उद्यमशीलता इकोसिस्टम में सूचना विषमता को दूर करने के उद्देश्य से 2018 में एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में डब्ल्यूईपी प्रारम्भ किया। सभी मौजूदा पहलों को प्रदर्शित करके और डोमेन ज्ञान प्रदान करके यह भावी और वर्तमान दोनों महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करता है।

vii. सुपरस्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों की अधिक संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्त्री वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई है। पॉडकास्ट महिलाओं के नवाचारों से संबंधित जागरूकता फैलाता है और देश में महिला उद्यमिता को और मजबूत करता है।

viii. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में अच्छी प्रथाओं की पहचान करने का एक अभ्यास है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और विशेष प्रोत्साहनों के निर्माण और कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है। देश में नवाचार, समावेशिता और विविधता और उद्यमशीलता की समझ, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार (एनएसए) की स्थापना की। एनएसए 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्ट-अप को मान्यता देता है और उन्हें बढ़ावा देता है। एनएसए के सभी चार संस्करणों (2020, 2021, 2022 और 2023) में महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप्स के लिए एक विशेष श्रेणी और पुरस्कार शामिल हैं।

4. **वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)** - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को दिनांक 08.04.2015 को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई), यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 20 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण का विस्तार करने के लिए लॉन्च किया गया था। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय स्कीम है, वह विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों के लिए स्कीम के अंतर्गत ऋण ले सकता है, जिसमें कृषि से संबद्ध गतिविधियां भी शामिल हैं। चार ऋण श्रेणियों अर्थात शिशु (50,000 रुपए तक के ऋण), किशोर (50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण), तरुण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण) और तरुण प्लस (10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण, उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने दिनांक 24.10.2024 से 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुकाए हैं) में ऋण प्राप्त कर सकता है। स्कीम की शुरुआत से लेकर 01 नवम्बर, 2024 तक पीएमएमवाई के अंतर्गत 31.28 लाख करोड़ रुपए की राशि के कुल 50.31 करोड़ ऋण दिए गए हैं, जिनमें से कुल 34.01 करोड़ (68%) ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं।

स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) स्कीम को दिनांक 05.04.2016 को शुरू की गई जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच मूल्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से ऋण की सुविधा प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने देश भर में एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को 2.51 लाख से अधिक ऋण की सुविधा

प्रदान की है और योजना की शुरुआत से दिनांक 31.10.2024 तक महिला उद्यमियों को कुल 2.10 लाख (84%) ऋण मंजूर किए गए हैं।

अनुबंध-III

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश में रोजगार पात्र युवाओं के लिए महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय के लिए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के अपने नेटवर्क के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संगठन है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) भारत सरकार द्वारा घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न विधाओं में कुशल श्रमिकों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इसके उद्देश्यों में व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाना, रोजगार योग्य कौशल प्रदान करके शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी को कम करना और युवा पीढ़ी में तकनीकी और औद्योगिक मानसिकता को बढ़ावा देना शामिल है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के एक प्रमुख घटक के रूप में, यह स्कीम विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिल्पकारों को आकार देने में सहायक रही है।

पिछले दस शैक्षणिक सत्रों अर्थात् सत्र 2014-2015 से 2023-24 तक आईटीआई में राज्य-वार महिला नामांकन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सत्र 2014	सत्र 2015	सत्र 2016	सत्र 2017	सत्र 2018	सत्र 2019	सत्र 2020	सत्र 2021	सत्र 2022	सत्र 2023
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	55	116	121	128	122	130	234	145	123	137
2	आंध्र प्रदेश	1,636	1,762	1,917	1,706	1,985	2,086	1,857	1,761	2,058	2,378
3	अरुणाचल प्रदेश	121	143	169	186	190	200	151	147	192	205
4	असम	557	581	479	452	666	755	781	777	922	1,322
5	बिहार	759	867	1,134	1,401	2,486	4,855	6,644	6,441	5,908	8,221
6	चंडीगढ़	441	535	511	553	543	462	414	458	469	498
7	छत्तीसगढ	2,170	2,880	3,341	3,850	5,542	5,828	5,416	5,943	5,844	6,873
8	दिल्ली	1,758	2,265	2,777	2,608	4,469	2,978	2,695	2,871	2,884	3,172
9	गोवा	275	349	410	406	431	359	327	346	478	483
10	गुजरात	6,552	8,877	8,860	9,845	17,260	12,957	15,498	15,200	16,357	19,820
11	हरियाणा	4,776	8,351	8,094	8,565	14,119	10,669	10,814	9,221	9,195	11,890
12	हिमाचल प्रदेश	5,017	5,106	4,886	4,814	4,883	5,159	3,779	4,620	5,194	5,254
13	जम्मू और कश्मीर	631	690	779	866	822	1,865	2,869	3,229	3,121	3,242
14	झारखंड	352	475	614	697	676	1,079	910	1,348	1,603	2,032
15	कर्नाटक	4,335	4,334	4,509	4,243	4,443	3,723	3,093	3,106	3,287	3,364
16	केरल	5,572	4,547	5,287	5,224	7,191	6,916	6,053	6,485	6,784	6,965
17	लद्दाख	50	46	60	60	61	123	101	122	190	220
18	लक्षद्वीप	44	33	35	37	35	97	157	167	151	148
19	मध्य प्रदेश	3,732	5,101	7,110	6,891	10,243	10,464	10,445	9,494	9,668	10,072
20	महाराष्ट्र	14,568	15,615	19,352	19,803	21,248	17,693	16,219	18,913	21,155	22,939
21	मणिपुर	4	16	9	20	14	11	14	8	186	306
22	मेघालय	225	235	279	253	266	228	204	202	274	316

23	मिजोरम	103	151	162	143	131	78	81	80	98	129
24	नागालैंड	24	1	17	12	30	42	48	44	52	56
25	ओडिशा	2,246	2,627	3,106	4,148	4,835	4,500	5,790	7,756	7,426	11,828
26	पुदुचेरी	118	137	175	165	148	117	134	101	118	141
27	पंजाब	6,621	8,972	8,861	8,986	10,869	10,441	13,663	12,347	12,116	12,885
28	राजस्थान	5,239	7,881	8,807	10,486	9,203	10,684	9,508	9,936	9,148	10,646
29	सिक्किम	111	87	93	169	172	98	106	76	164	111
30	तमिलनाडु	5,676	5,832	5,284	4,365	4,801	4,220	4,001	4,282	4,378	5,242
31	तेलंगाना	2,675	2,876	3,027	2,484	2,276	1,977	1,668	1,521	1,651	2,318
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	31	32	33	28	36	19	41	53	148	240
33	त्रिपुरा	281	208	314	267	575	387	525	473	721	704
34	उत्तर प्रदेश	8,962	13,086	16,788	18,974	42,027	39,851	32,004	35,358	37,745	43,079
35	उत्तराखंड	1,138	1,607	1,672	1,585	2,375	2,104	1,521	1,284	1,760	1,885
36	पश्चिम बंगाल	964	1,819	2,850	2,742	3,185	3,551	4,494	3,857	4,486	6,082
सकल योग		**87,819**	**1,08,240**	**1,21,922**	**1,27,162**	**1,78,358**	**1,66,706**	**1,62,259**	**1,68,172**	**1,76,054**	**2,05,203**

अनुबंध-IV

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कुशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका उद्देश्य शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियोजित शिक्षुओं को आंशिक वृत्तिका सहायता प्रदान करके, शिक्षुता इकोसिस्टम की क्षमता-निर्माण का कार्य करके, तथा हितधारकों को एडवोकेसी सहायता प्रदान करके देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। एनएपीएस कार्यनीतिक रूप से नियोक्ताओं को अपने कार्यबल में अधिक शिक्षुओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले नौ वर्षों में शिक्षुता नामांकन और कौशल विकास में सक्रिय भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

वित्तीय-वर्ष 2016-17 से 31 अक्तूबर 2024 तक नियोजित महिला शिक्षुओं की राज्य-वार संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (31 अक्तूबर 2024 तक)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	-	-	-	1	-	3	9	10
2	आंध्र प्रदेश	151	198	206	427	608	4,422	3,587	3,648	2,162
3	अरुणाचल प्रदेश	0	-	1	-	-	6	12	25	20
4	असम	30	90	145	405	276	6,268	4,274	3,639	1,903
5	बिहार	45	66	168	83	132	1,767	1,023	741	584
6	चंडीगढ़	2	29	19	21	78	225	145	326	537
7	छत्तीसगढ	60	54	205	685	164	333	752	1,040	469
8	दिल्ली	123	276	599	1,122	1,533	3,775	3,576	3,731	2,584
9	गोवा	16	41	53	304	320	527	1,036	3,948	2,250
10	गुजरात	959	1,128	6,451	7,727	8,493	11,268	11,970	15,654	10,288
11	हरियाणा	223	3,565	3,688	3,473	4,830	7,039	10,442	10,983	6,915
12	हिमाचल प्रदेश	52	80	78	102	174	953	1,104	1,844	1,070
13	जम्मू और कश्मीर	9	8	13	39	52	93	131	189	133
14	झारखंड	479	162	330	159	199	586	1,111	1,565	653
15	कर्नाटक	693	735	549	3,507	3,768	10,017	13,891	16,857	11,794
16	केरल	608	1,087	1,133	929	1,631	2,137	3,047	3,671	2,565
17	लद्दाख	0	-	-	-	2	7	10	37	35
18	लक्षद्वीप	1	-	-	-	2	-	3	4	-
19	मध्य प्रदेश	640	506	768	771	1,016	3,249	3,846	4,534	4,359
20	महाराष्ट्र	2,212	2,972	3,649	6,702	16,908	29,947	35,372	53,522	34,947

21	मणिपुर	2	2	24	4	2	25	9	8	101
22	मेघालय	1	-	2	11	38	40	83	142	88
23	मिजोरम	0	-	-	2	-	1	3	6	28
24	नागालैंड	1	1	2	3	-	10	4	5	8
25	ओडिशा	272	200	230	399	544	1,220	1,753	2,519	1,226
26	पुद्दुचेरी	54	60	66	149	65	384	456	685	646
27	पंजाब	127	122	195	434	940	2,981	3,665	2,824	2,136
28	राजस्थान	70	109	168	333	518	1,060	2,010	2,960	2,562
29	सिक्किम	8	7	2	19	34	56	40	85	78
30	तमिलनाडु	465	1,758	1,737	2,563	5,868	12,288	18,668	24,381	16,029
31	तेलंगाना	296	321	329	2,230	2,846	10,501	7,298	9,168	5,103
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	3	11	4	50	329	180	370	271
33	त्रिपुरा	2	3	116	73	59	55	78	64	34
34	उत्तर प्रदेश	708	799	1,154	1,029	1,985	5,561	8,526	12,264	9,237
35	उत्तराखंड	96	79	149	219	474	1,489	2,826	4,539	2,677
36	पश्चिम बंगाल	215	204	187	1,371	2,079	5,358	8,036	10,911	3,831
	योग	**8,620**	**14,665**	**22,427**	**35,299**	**55,689**	**1,23,977**	**1,48,970**	**1,96,898**	**1,27,333**

वित्तीय-वर्ष 2016-17 से 31 अक्तूबर 2024 तक एनएपीएस के अंतर्गत नियोजित महिला शिक्षुओं का राज्य-वार प्रतिशत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (31 अक्तूबर 2024 तक)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	-	-	-	33.33	-	7.32	18.75	12.82
2	आंध्र प्रदेश	2.50	3.26	3.44	11.06	13.84	28.13	22.14	16.81	20.04
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	-	50.00	-	-	33.33	28.57	38.46	58.82
4	असम	5.26	8.43	9.56	18.38	11.26	44.75	44.24	44.52	46.64
5	बिहार	1.69	1.09	2.84	7.19	10.67	27.29	18.46	13.94	17.01
6	चंडीगढ़	4.17	22.31	14.73	6.07	27.86	27.68	21.61	26.57	42.55
7	छत्तीसगढ	5.25	5.78	10.82	12.15	9.92	12.52	15.41	19.78	12.69
8	दिल्ली	11.46	19.57	29.12	22.73	19.69	21.21	22.61	23.38	22.08
9	गोवा	8.04	16.73	15.87	17.67	15.75	15.36	23.51	33.23	34.24
10	गुजरात	6.65	6.79	13.56	17.13	14.92	16.20	15.70	18.65	21.23
11	हरियाणा	4.30	20.16	18.07	18.36	15.16	16.62	16.61	16.46	18.15
12	हिमाचल प्रदेश	5.37	4.85	4.96	5.37	9.85	16.81	16.18	18.06	19.41
13	जम्मू और कश्मीर	2.00	3.48	3.77	12.83	20.00	11.18	13.25	22.00	22.70
14	झारखंड	10.96	3.53	6.11	7.45	3.95	7.10	12.14	13.17	14.52
15	कर्नाटक	7.62	7.04	5.73	25.48	21.81	23.80	23.74	21.49	22.57
16	केरल	22.63	25.19	26.29	23.83	25.38	23.81	27.02	28.01	29.74
17	लद्दाख	0.00	-	-	-	33.33	38.89	35.71	56.06	81.40
18	लक्षद्वीप	20.00	-	-	-	11.11	-	33.33	66.67	-
19	मध्य प्रदेश	16.59	10.08	11.48	11.11	10.67	19.01	18.14	19.97	27.77
20	महाराष्ट्र	8.79	8.46	10.35	18.30	23.66	20.39	19.02	20.33	22.04
21	मणिपुर	25.00	40.00	61.54	25.00	18.18	27.78	28.13	44.44	57.39
22	मेघालय	33.33	-	66.67	21.57	36.19	34.19	45.86	66.98	55.35
23	मिजोरम	0.00	-	-	50.00	-	25.00	75.00	50.00	24.56
24	नागालैंड	4.17	25.00	50.00	21.43	-	37.04	18.18	33.33	88.89
25	ओडिशा	9.26	5.14	5.72	11.77	14.78	14.71	16.76	23.42	25.91
26	पुदुचेरी	20.30	18.29	17.46	30.98	21.74	35.23	33.95	27.74	26.58

27	पंजाब	5.24	6.96	9.53	15.20	21.08	25.57	23.86	19.13	24.43
28	राजस्थान	3.51	3.52	4.76	8.18	8.07	11.19	13.22	16.24	18.94
29	सिक्किम	24.24	31.82	40.00	14.84	20.99	18.18	19.80	28.52	29.00
30	तमिलनाडु	7.77	17.20	19.08	18.84	23.55	24.61	25.82	24.01	27.26
31	तेलंगाना	5.77	6.67	5.67	23.10	20.33	27.31	22.93	24.27	30.51
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	2.48	10.78	4.12	8.38	25.66	17.89	12.86	12.53
33	त्रिपुरा	16.67	6.67	73.42	16.70	23.14	22.54	21.20	16.71	16.75
34	उत्तर प्रदेश	6.01	5.60	6.12	8.18	9.95	14.62	14.97	17.15	19.56
35	उत्तराखंड	9.25	4.87	6.47	8.80	10.87	14.91	17.19	21.55	19.45
36	पश्चिम बंगाल	12.15	8.08	6.05	22.30	28.21	28.51	30.78	36.94	27.84

जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) को सहायता देने की स्कीम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कुशल भारत कार्यक्रम के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास करना, शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को लक्षित करना है, जिसमें स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और 15-45 वर्ष की आयु के अल्पसंख्यक शामिल हैं। वर्तमान में, 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 289 जेएसएस संचालित हैं। जुलाई 2018 से, इस योजना ने 27.35 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें महिलाओं की संख्या 82.44% (22.55 लाख) है। राज्यवार और वर्षवार प्रशिक्षित महिला लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	582	1270	1377	357
2	आंध्र प्रदेश	4433	9699	7792	10194	12805	9035	3507
3	अरुणाचल प्रदेश	155	563	0	0	0	0	0
4	असम	3387	7833	7427	7897	10178	7403	2016
5	बिहार	8710	20192	13506	23741	45138	29736	7543
6	चंडीगढ़	556	1456	756	1157	1953	1229	53
7	छत्तीसगढ	3557	9783	8528	14689	28719	17662	2636
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	429	1425	701	2231	2708	2667	400
9	दिल्ली	2207	4702	4113	4398	6547	4200	1136
10	गोवा	586	1618	1572	1664	2449	1612	360
11	गुजरात	7070	16373	14583	16701	19846	11853	3301
12	हरियाणा	3677	7623	6558	7539	8207	5640	368
13	हिमाचल प्रदेश	377	808	876	6295	20694	13537	1781
14	जम्मू और कश्मीर	974	2649	2510	1830	375	631	30
15	झारखंड	2233	4258	3916	8806	21334	18549	4120
16	कर्नाटक	5741	14371	13284	16358	25773	17909	4934
17	केरल	5838	14319	12217	13708	20849	13759	2186
18	लद्दाख	0	0	0	0	441	196	135
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1335	1682	13400
20	मध्य प्रदेश	18813	43983	38079	44831	56358	40553	7440
21	महाराष्ट्र	13975	33068	27658	31125	42284	29677	1530
22	मणिपुर	1321	3405	3517	3948	6508	4362	70
23	मेघालय	0	0	0	0	1102	1260	129
24	मिजोरम	0	0	0	635	1435	991	0
25	नागालैंड	388	1259	1327	1122	1348	1539	0
26	ओडिशा	10703	25097	21270	32976	54323	38957	7581
27	पंजाब	1291	3144	1386	3159	3646	2940	909
28	राजस्थान	3816	7951	7648	10102	14657	10935	2362
29	तमिलनाडु	3768	12547	9626	12066	16194	11890	2766
30	तेलंगाना	3997	10681	7223	9206	13403	9247	2971
31	त्रिपुरा	379	1055	748	1797	3951	2589	592
32	उत्तर प्रदेश	30900	73951	65153	75025	97341	67315	13287
33	उत्तराखंड	4309	9055	7553	10409	17342	12160	2836
34	पश्चिम बंगाल	4645	11267	8372	11051	14298	9943	1211
	योग	**148235**	**354135**	**297899**	**385242**	**574811**	**403035**	**91947**

अनुबंध- □□

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की एक प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है, जिसे देश भर में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी), पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) और विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत 1.32 करोड़ भावी युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है।

भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। पीएमकेवीवाई 1.0 की सफलता के कारण, जिसमें 19 लाख से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था, इस योजना को अक्तूबर 2016 में वर्ष 2020 तक 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से फिर से शुरू किया गया और इसे पीएमकेवीवाई 2016-2020 का नाम दिया गया। देश के युवाओं को सशक्त बनाने और भारत को दुनिया की कौशल राजधानी के रूप में बनाने में कुशल भारत मिशन की यात्रा को जारी रखने के उद्देश्य से, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने जनवरी 2021 में अपनी प्रमुख योजना- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। पीएमकेवीवाई 3.0 का लक्ष्य आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है। ईएफसी द्वारा अनुमोदित पीएमकेवीवाई 4.0 के डिजाइन सिद्धांतों के आधार पर, एक कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई 4.0 (2023) को वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक और शैक्षिक धाराओं में तालमेल बिठाना और कौशल केंद्रों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ाकर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदाताओं का नेटवर्क बढ़ाना है। पीएमकेवीवाई के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ केंद्रीय और राज्य सरकार के स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई), कॉलेजों और विश्वविद्यालयों (कौशल विश्वविद्यालयों सहित) में कौशल केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।

पीएमकेवीवाई उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उन पर विशेष ध्यान देता है जो महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में महत्व देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, सौंदर्य और कल्याण, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की अधिक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए संरचित हैं। कौशल केंद्र और विशेष परियोजनाएं पहुंच सुनिश्चित करके और बोर्डिंग और लॉजिंग और यात्रा भत्ते जैसे सहायक उपाय प्रदान करके महिलाओं के नामांकन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती हैं। परियोजनाओं को स्थानीय कौशल मांगों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे महिलाओं को कौशल विकास योजना में भाग लेने और लाभ उठाने के अवसर मिलते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण पूरे भारत में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और लाभ सुनिश्चित करता है।

स्कीम के पहले तीन चरणों अर्थात पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया है, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया है।

राज्य-वार और वर्ष-वार नामांकित महिलाओं की संख्या तथा नामांकित महिलाओं का प्रतिशत विवरण निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई 1.0						
राज्य	वित्तीय वर्ष 15-16			वित्तीय वर्ष 16-17		
	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	194	50	26%	-	-	0%
आंध्र प्रदेश	1,29,795	57,909	45%	6,840	2,741	40%
अरुणाचल प्रदेश	1,017	723	71%	-	-	0%
असम	32,045	14,159	44%	1,363	1,076	79%
बिहार	90,929	27,660	30%	1,118	266	24%
चंडीगढ़	4,973	2,488	50%	79	13	16%
छत्तीसगढ	36,670	20,491	56%	632	391	62%
दिल्ली	81,146	31,993	39%	24,626	3,101	13%
गोवा	499	242	48%	-	-	0%
गुजरात	43,666	14,136	32%	333	16	5%
हरियाणा	84,207	28,482	34%	2,239	664	30%
हिमाचल प्रदेश	22,831	9,860	43%	60	60	100%
जम्मू और कश्मीर	18,046	8,737	48%	56	56	100%
झारखंड	27,842	11,282	41%	931	29	3%
कर्नाटक	75,774	40,380	53%	1,277	442	35%
केरल	15,165	7,872	52%	174	131	75%
लद्दाख	75	36	48%	-	-	0%
लक्षद्वीप	-	-	0%	-	-	0%
मध्य प्रदेश	1,65,109	66,220	40%	3,789	1,549	41%
महाराष्ट्र	97,109	45,136	46%	12,326	7,561	61%
मणिपुर	1,353	730	54%	250	250	100%
मेघालय	1,701	943	55%	198	-	0%
मिजोरम	1,030	333	32%	-	-	0%
नागालैंड	1,271	794	62%	-	-	0%
ओडिशा	60,240	19,309	32%	1,117	267	24%
पुदुचेरी	7,301	4,873	67%	-	-	0%
पंजाब	76,234	37,945	50%	8,386	7,042	84%
राजस्थान	1,19,644	38,185	32%	13,943	7,569	54%
सिक्किम	886	461	52%	-	-	0%
तमिलनाडु	1,63,151	1,17,269	72%	6,063	3,584	59%
तेलंगाना	1,05,602	46,069	44%	3,329	1,930	58%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	488	215	44%	-	-	0%
त्रिपुरा	14,654	5,830	40%	486	482	99%
उत्तर प्रदेश	2,65,617	1,04,179	39%	6,756	2,249	33%
उत्तराखंड	13,813	6,227	45%	488	1	0%
पश्चिम बंगाल	1,28,345	50,498	39%	735	70	10%
योग	**18,88,422**	**8,21,716**	**44%**	**97,594**	**41,540**	**43%**

पीएमकेवीवाई 2.0															
राज्य	वित्तीय वर्ष 16-17			वित्तीय वर्ष 17-18			वित्तीय वर्ष 18-19			वित्तीय वर्ष 19-20			वित्तीय वर्ष 20-21		
	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	0%	-	-	0%	369	175	47%	2,688	1,271	47%	-	-	0%
आंध्र प्रदेश	21,255	10,298	48%	64,882	29,720	46%	62,002	29,095	47%	1,70,636	72,076	42%	983	301	31%
अरुणाचल प्रदेश	-	-	0%	1,366	1,287	94%	8,949	6,448	72%	35,972	22,085	61%	28,642	15,825	55%
असम	13,321	10,168	76%	41,302	24,188	59%	61,358	34,872	57%	3,36,461	2,17,749	65%	2,16,712	1,11,630	52%
बिहार	35,908	9,308	26%	1,09,289	38,769	35%	84,586	27,796	33%	2,40,779	88,453	37%	54,014	17,760	33%
चंडीगढ़	140	43	31%	4,890	2,787	57%	5,161	2,288	44%	11,722	4,893	42%	-	-	0%
छत्तीसगढ	3,664	1,422	39%	35,801	18,304	51%	37,878	17,082	45%	62,260	25,960	42%	80	16	20%
दिल्ली	24,049	13,517	56%	1,05,516	59,568	56%	64,344	22,881	36%	2,01,768	81,818	41%	2,397	1,357	57%
गोवा	240	162	68%	936	463	49%	1,719	316	18%	6,526	1,468	22%	194	19	10%
गुजरात	11,493	4,559	40%	45,068	21,362	47%	89,693	39,157	44%	2,03,583	77,326	38%	1,253	481	38%
हरियाणा	40,663	18,073	44%	1,97,393	90,556	46%	1,11,949	34,018	30%	2,13,289	52,301	25%	1,022	305	30%
हिमाचल प्रदेश	1,835	1,022	56%	28,147	15,048	53%	31,021	17,779	57%	59,519	29,223	49%	252	131	52%
जम्मू और कश्मीर	9,738	5,382	55%	52,224	28,556	55%	43,449	21,159	49%	1,71,809	80,359	47%	176	59	34%
झारखंड	6,556	2,572	39%	37,494	11,994	32%	40,127	12,773	32%	1,52,044	71,026	47%	3,687	2,599	70%
कर्नाटक	17,980	9,236	51%	83,716	37,576	45%	1,10,922	36,592	33%	2,17,053	82,325	38%	2,740	1,612	59%
केरल	16,177	4,847	30%	75,122	40,566	54%	37,590	14,407	38%	1,06,840	36,720	34%	330	54	16%
लद्दाख	-	-	0%	-	-	0%	1,383	914	66%	1,128	596	53%	118	80	68%
लक्षद्वीप	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	150	44	29%	-	-	0%
मध्य प्रदेश	32,728	16,086	49%	2,40,958	1,11,595	46%	1,16,641	42,914	37%	3,00,336	1,24,291	41%	21,700	10,419	48%
महाराष्ट्र	20,577	9,550	46%	1,17,200	43,231	37%	1,80,372	35,156	19%	7,60,649	2,52,834	33%	5,722	3,444	60%
मणिपुर	9,386	8,387	89%	5,228	3,891	74%	8,040	5,495	68%	43,557	30,674	70%	19,154	15,499	81%
मेघालय	644	479	74%	4,506	1,821	40%	9,793	4,794	49%	18,147	10,282	57%	9,152	5,110	56%

मिजोरम	-	-	0%	70	51	73%	7,742	4,417	57%	12,982	8,610	66%	5,992	3,371	56%
नागालैंड	919	648	71%	1,408	1,061	75%	3,195	1,918	60%	24,113	14,476	60%	5,961	3,904	65%
ओडिशा	11,406	4,787	42%	76,820	28,786	37%	97,539	38,472	39%	3,01,065	1,03,304	34%	4,390	1,717	39%
पुदुचेरी	1,549	1,024	66%	4,963	2,789	56%	5,875	3,196	54%	8,329	4,026	48%	-	-	0%
पंजाब	20,826	11,071	53%	1,20,876	70,260	58%	53,968	23,869	44%	1,44,497	57,234	40%	269	100	37%
राजस्थान	64,703	22,742	35%	2,04,711	84,382	41%	1,35,307	60,545	45%	5,18,614	2,29,191	44%	22,239	11,352	51%
सिक्किम	234	115	49%	528	305	58%	3,812	2,216	58%	5,493	2,873	52%	1,489	811	54%
तमिलनाडु	69,478	49,267	71%	1,43,606	1,00,861	70%	1,15,534	67,987	59%	2,48,630	1,10,421	44%	264	130	49%
तेलंगाना	20,900	10,272	49%	94,345	47,033	50%	54,613	18,207	33%	1,38,763	45,738	33%	690	136	20%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	0%	1,461	425	29%	3,938	1,940	49%	4,224	1,916	45%	-	-	0%
त्रिपुरा	2,283	1,577	69%	13,467	6,083	45%	9,768	4,630	47%	72,158	33,312	46%	23,514	8,560	36%
उत्तर प्रदेश	1,03,241	51,639	50%	3,74,366	1,59,279	43%	3,26,419	1,22,574	38%	8,21,742	3,34,681	41%	35,814	16,514	46%
उत्तराखंड	5,386	2,928	54%	38,964	21,989	56%	45,786	20,312	44%	89,510	42,615	48%	220	137	62%
पश्चिम बंगाल	29,499	12,499	42%	1,00,535	42,836	43%	83,495	37,095	44%	2,29,515	96,720	42%	730	257	35%
योग	**5,96,778**	**2,93,680**	**49%**	**24,27,158**	**11,47,422**	**47%**	**20,54,337**	**8,13,489**	**40%**	**59,36,551**	**24,48,891**	**41%**	**4,69,900**	**2,33,690**	**50%**

पीएमकेवीवाई 3.0									
राज्य	वित्तीय वर्ष 20-21			वित्तीय वर्ष 21-22			वित्तीय वर्ष 22-23		
	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	147	59	40%	777	208	27%	-	-	0%
आंध्र प्रदेश	6,117	2,866	47%	15,241	5,737	38%	-	-	0%
अरुणाचल प्रदेश	2,959	1,713	58%	7,930	5,005	63%	-	-	0%
असम	10,613	6,680	63%	24,811	15,722	63%	52	48	92%
बिहार	10,867	4,532	42%	31,649	13,822	44%	-	-	0%
चंडीगढ़	782	501	64%	1,057	670	63%	-	-	0%
छत्तीसगढ	4,143	2,339	56%	8,432	5,142	61%	-	-	0%
दिल्ली	4,574	2,812	61%	15,522	6,397	41%	-	-	0%
गोवा	257	51	20%	540	235	44%	-	-	0%
गुजरात	10,296	5,751	56%	26,752	10,503	39%	-	-	0%
हरियाणा	4,509	1,983	44%	24,140	8,615	36%	-	-	0%
हिमाचल प्रदेश	2,801	1,731	62%	10,995	6,763	62%	84	65	77%
जम्मू और कश्मीर	4,104	2,186	53%	29,272	19,039	65%	-	-	0%
झारखंड	2,446	1,009	41%	13,241	7,416	56%	-	-	0%
कर्नाटक	8,756	4,225	48%	28,348	10,753	38%	32	10	31%
केरल	4,863	2,204	45%	16,533	8,307	50%	-	-	0%
लद्दाख	-	-	0%	991	710	72%	-	-	0%
लक्षद्वीप	120	24	20%	-	-	0%	-	-	0%
मध्य प्रदेश	11,699	4,878	42%	48,287	25,037	52%	30	30	100%
महाराष्ट्र	9,500	3,608	38%	49,479	20,075	41%	275	123	45%
मणिपुर	4,260	3,102	73%	5,489	3,438	63%	-	-	0%
मेघालय	822	539	66%	4,197	2,931	70%	-	-	0%
मिजोरम	1,178	858	73%	5,146	3,291	64%	41	41	100%
नागालैंड	654	437	67%	5,591	2,905	52%	-	-	0%
ओडिशा	7,707	4,265	55%	21,006	10,247	49%	30	2	7%
पुदुचेरी	1,354	895	66%	1,750	1,302	74%	-	-	0%
पंजाब	11,205	4,153	37%	18,645	8,631	46%	-	-	0%
राजस्थान	16,596	7,552	46%	27,373	10,042	37%	17	5	29%
सिक्किम	906	459	51%	1,447	833	58%	-	-	0%
तमिलनाडु	6,560	4,417	67%	34,879	25,300	73%	240	162	68%
तेलंगाना	7,146	3,955	55%	16,994	8,373	49%	55	8	15%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	250	206	82%	33	31	94%	-	-	0%
त्रिपुरा	569	363	64%	6,002	3,137	52%	37	2	5%
उत्तर प्रदेश	25,022	14,425	58%	60,740	26,393	43%	-	-	0%
उत्तराखंड	3,079	2,012	65%	11,739	6,618	56%	-	-	0%
पश्चिम बंगाल	8,878	5,193	58%	23,156	11,754	51%	160	52	33%
योग	**1,95,739**	**1,01,983**	**52%**	**5,98,184**	**2,95,382**	**49%**	**1,053**	**548**	**52%**

पीएमकेवीवाई 4.0									
राज्य	वित्तीय वर्ष 22-23			वित्तीय वर्ष 23-24			वित्तीय वर्ष 24-25		
	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %	कुल नामांकित	नामांकित महिला	महिला %
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	370	164	44%	1,568	638	41%	15	15	100%
आंध्र प्रदेश	7,502	2,883	38%	63,507	30,049	47%	11,780	4,798	41%
अरुणाचल प्रदेश	2,340	1,619	69%	14,887	9,275	62%	2,044	1,395	68%
असम	8,504	4,983	59%	1,18,694	84,891	72%	14,001	10,895	78%
बिहार	13,343	7,051	53%	83,919	40,161	48%	39,640	19,507	49%
चंडीगढ़	270	233	86%	1,087	956	88%	86	86	100%
छत्तीसगढ	5,280	3,659	69%	18,284	11,001	60%	6,655	3,014	45%
दिल्ली	4,363	2,368	54%	18,911	10,759	57%	2,402	1,095	46%
गोवा	-	-	0%	443	386	87%	-	-	0%
गुजरात	8,226	5,387	65%	60,420	33,614	56%	2,751	1,424	52%
हरियाणा	13,268	7,521	57%	75,761	33,803	45%	28,457	13,573	48%
हिमाचल प्रदेश	2,898	1,678	58%	20,178	10,384	51%	7,530	3,796	50%
जम्मू और कश्मीर	11,565	6,734	58%	1,04,239	66,867	64%	5,085	3,046	60%
झारखंड	5,013	3,395	68%	32,283	19,779	61%	3,580	1,144	32%
कर्नाटक	5,010	2,288	46%	57,487	30,366	53%	28,452	13,221	46%
केरल	4,111	1,727	42%	19,217	10,439	54%	2,469	819	33%
लद्दाख	330	265	80%	946	679	72%	30	26	87%
लक्षद्वीप	-	-	0%	120	46	38%	-	-	0%
मध्य प्रदेश	17,766	9,798	55%	2,63,816	1,55,029	59%	57,340	28,754	50%
महाराष्ट्र	17,383	7,945	46%	92,957	45,980	49%	22,949	9,533	42%
मणिपुर	3,251	1,921	59%	15,146	10,387	69%	9,608	7,776	81%
मेघालय	265	204	77%	9,902	6,492	66%	1,850	976	53%
मिजोरम	1,552	796	51%	6,398	3,933	61%	3,535	2,153	61%
नागालैंड	649	289	45%	9,346	5,101	55%	2,341	855	37%
ओडिशा	10,664	5,761	54%	44,389	23,374	53%	5,178	2,122	41%
पुदुचेरी	758	672	89%	3,320	2,578	78%	321	170	53%
पंजाब	5,815	3,312	57%	1,05,839	62,925	59%	20,458	11,688	57%
राजस्थान	5,313	2,023	38%	2,48,798	1,11,269	45%	88,709	32,436	37%
सिक्किम	2,299	1,277	56%	4,333	2,646	61%	386	230	60%
तमिलनाडु	15,644	11,760	75%	93,584	68,860	74%	29,119	15,319	53%
तेलंगाना	5,356	3,023	56%	33,596	17,489	52%	4,821	2,034	42%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	388	296	76%	1,550	1,028	66%	-	-	0%
त्रिपुरा	1,854	953	51%	18,101	12,891	71%	2,892	2,186	76%
उत्तर प्रदेश	33,672	16,468	49%	3,92,900	2,12,522	54%	1,56,322	84,348	54%
उत्तराखंड	4,012	2,639	66%	45,109	28,584	63%	5,255	2,374	45%
पश्चिम बंगाल	8,608	3,700	43%	51,765	28,007	54%	4,500	2,667	59%
योग	**2,27,642**	**1,24,792**	**55%**	**21,32,800**	**11,93,188**	**56%**	**5,70,561**	**2,83,475**	**50%**

प्रशिक्षित महिलाओं की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	प्रशिक्षित	
	महिला	कुल
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,202	5,431
आंध्र प्रदेश	2,27,584	5,15,400
अरुणाचल प्रदेश	59,585	97,057
असम	5,02,956	8,24,314
बिहार	2,64,541	7,23,547
चंडीगढ़	13,560	27,818
छत्तीसगढ	98,538	1,99,419
दिल्ली	2,23,306	5,20,285
गोवा	3,022	10,386
गुजरात	1,96,146	4,67,349
हरियाणा	2,62,216	7,29,617
हिमाचल प्रदेश	86,162	1,66,785
जम्मू और कश्मीर	2,21,173	4,12,380
झारखंड	1,36,552	3,07,766
कर्नाटक	2,35,791	5,65,277
केरल	1,15,816	2,71,242
लद्दाख	2,674	4,047
लक्षद्वीप	114	390
मध्य प्रदेश	5,25,537	11,37,814
महाराष्ट्र	4,51,747	13,05,040
मणिपुर	76,885	1,05,596
मेघालय	31,769	56,924
मिजोरम	24,950	40,359
नागालैंड	30,333	51,320
ओडिशा	2,20,372	5,96,273
पुदुचेरी	20,285	33,608
पंजाब	2,73,318	5,35,986
राजस्थान	5,66,573	13,33,015
सिक्किम	10,678	19,041
तमिलनाडु	5,27,222	8,52,858
तेलंगाना	1,87,911	4,52,880
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5,699	11,527
त्रिपुरा	73,845	1,55,206
उत्तर प्रदेश	10,15,157	23,36,352
उत्तराखंड	1,26,238	2,45,439
पश्चिम बंगाल	2,76,267	6,37,623
योग	**70,96,724**	**1,57,55,371**

राज्य-वार और वर्ष-वार नियोजित महिलाओं की संख्या तथा नियोजित महिलाओं का प्रतिशत निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई 1.0						
राज्य	वित्तीय वर्ष 15-16			वित्तीय वर्ष 16-17		
	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	0%	-	-	0%
आंध्र प्रदेश	16,774	7,081	42%	1,855	669	36%
अरुणाचल प्रदेश	29	21	72%	59	46	78%
असम	3,299	1,553	47%	395	277	70%
बिहार	10,360	3,161	31%	1,687	738	44%
चंडीगढ़	244	152	62%	152	118	78%
छत्तीसगढ	1,005	343	34%	346	100	29%
दिल्ली	4,047	1,522	38%	1,197	696	58%
गोवा	213	140	66%	-	-	0%
गुजरात	2,643	840	32%	509	263	52%
हरियाणा	7,063	1,983	28%	1,215	476	39%
हिमाचल प्रदेश	1,841	961	52%	317	128	40%
जम्मू और कश्मीर	274	139	51%	-	-	0%
झारखंड	1,566	817	52%	289	218	75%
कर्नाटक	11,992	7,526	63%	1,885	1,037	55%
केरल	1,300	640	49%	187	17	9%
लद्दाख	-	-	0%	-	-	0%
लक्षद्वीप	-	-	0%	-	-	0%
मध्य प्रदेश	18,600	7,104	38%	4,109	1,696	41%
महाराष्ट्र	9,775	4,045	41%	1,069	675	63%
मणिपुर	423	144	34%	76	28	37%
मेघालय	92	44	48%	18	2	11%
मिजोरम	77	14	18%	16	4	25%
नागालैंड	42	33	79%	35	30	86%
ओडिशा	9,340	3,291	35%	1,090	540	50%
पुदुचेरी	823	662	80%	81	80	99%
पंजाब	7,998	4,317	54%	2,632	1,704	65%
राजस्थान	11,858	3,317	28%	1,366	448	33%
सिक्किम	13	9	69%	-	-	0%
तमिलनाडु	37,539	27,415	73%	7,213	6,036	84%
तेलंगाना	18,080	6,538	36%	2,843	1,314	46%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	178	112	63%	29	11	38%
त्रिपुरा	4,975	1,818	37%	260	13	5%
उत्तर प्रदेश	21,160	7,333	35%	3,243	1,150	35%
उत्तराखंड	1,132	418	37%	48	42	88%
पश्चिम बंगाल	13,264	6,079	46%	1,056	413	39%
योग	**2,18,019**	**99,572**	**46%**	**35,277**	**18,969**	**54%**

पीएमकेवीवाई 2.0												
राज्य	वित्तीय वर्ष 16-17			वित्तीय वर्ष 17-18			वित्तीय वर्ष 18-19			वित्तीय वर्ष 19-20		
	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	124	113	91%
आंध्र प्रदेश	-	-	0%	21,410	10,945	51%	31,127	15,781	51%	25,486	12,395	49%
अरुणाचल प्रदेश	-	-	0%	-	-	0%	276	191	69%	2,943	1,894	64%
असम	59	37	63%	7,430	4,780	64%	9,866	5,731	58%	19,374	12,202	63%
बिहार	10	6	60%	15,817	6,009	38%	34,456	12,572	36%	35,336	14,020	40%
चंडीगढ़	-	-	0%	498	266	53%	1,480	910	61%	1,661	1,029	62%
छत्तीसगढ	-	-	0%	3,395	1,576	46%	11,167	5,984	54%	9,724	5,498	57%
दिल्ली	-	-	0%	18,342	11,705	64%	31,418	19,433	62%	11,881	6,878	58%
गोवा	-	-	0%	411	213	52%	219	119	54%	198	25	13%
गुजरात	-	-	0%	7,627	4,334	57%	11,981	6,607	55%	32,230	18,682	58%
हरियाणा	-	-	0%	39,529	21,709	55%	68,165	33,888	50%	30,884	13,995	45%
हिमाचल प्रदेश	-	-	0%	2,443	1,674	69%	8,308	5,359	65%	10,101	6,943	69%
जम्मू और कश्मीर	-	-	0%	12,575	8,209	65%	17,201	10,973	64%	12,203	6,815	56%
झारखंड	-	-	0%	4,509	2,518	56%	8,982	5,086	57%	9,186	4,904	53%
कर्नाटक	104	15	14%	5,817	2,808	48%	22,299	12,343	55%	20,845	10,774	52%
केरल	-	-	0%	4,960	3,140	63%	6,501	3,124	48%	8,263	4,195	51%
लद्दाख	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	877	540	62%
लक्षद्वीप	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
मध्य प्रदेश	-	-	0%	39,104	21,830	56%	70,507	36,125	51%	56,623	25,164	44%
महाराष्ट्र	-	-	0%	10,803	6,408	59%	18,824	9,049	48%	23,973	9,585	40%
मणिपुर	-	-	0%	370	160	43%	833	544	65%	6,127	4,208	69%
मेघालय	-	-	0%	859	664	77%	1,061	675	64%	3,166	2,235	71%
मिजोरम	-	-	0%	-	-	0%	296	204	69%	6,112	3,953	65%
नागालैंड	29	21	72%	808	602	75%	413	310	75%	879	474	54%
ओडिशा	-	-	0%	10,648	4,774	45%	22,592	10,105	45%	19,188	10,261	53%
पुदुचेरी	-	-	0%	1,150	709	62%	821	677	82%	4,684	3,279	70%
पंजाब	-	-	0%	22,616	15,438	68%	38,391	25,299	66%	29,599	14,309	48%
राजस्थान	-	-	0%	48,464	22,097	46%	55,924	24,600	44%	34,135	13,238	39%
सिक्किम	-	-	0%	79	39	49%	-	-	0%	1,313	710	54%
तमिलनाडु	-	-	0%	40,049	31,619	79%	42,080	33,038	79%	34,263	25,906	76%
तेलंगाना	-	-	0%	30,833	16,998	55%	29,079	16,149	56%	20,059	11,985	60%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	0%	-	-	0%	710	307	43%	1,638	1,131	69%
त्रिपुरा	-	-	0%	1,714	1,089	64%	2,437	1,606	66%	4,035	2,175	54%
उत्तर प्रदेश	34	11	32%	70,769	30,999	44%	1,07,553	45,272	42%	84,198	37,945	45%
उत्तराखंड	-	-	0%	5,357	3,213	60%	15,417	9,625	62%	17,304	10,084	58%
पश्चिम बंगाल	43	24	56%	24,690	11,882	48%	33,836	15,489	46%	29,777	15,501	52%
योग	**279**	**114**	**41%**	**4,53,076**	**2,48,407**	**55%**	**7,04,220**	**3,67,175**	**52%**	**6,08,389**	**3,13,045**	**51%**

पीएमकेवीवाई 2.0									
राज्य	वित्तीय वर्ष 20-21			वित्तीय वर्ष 21-22			वित्तीय वर्ष 22-23		
	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
आंध्र प्रदेश	7,555	3,608	48%	5,899	3,857	65%	112	76	68%
अरुणाचल प्रदेश	2,774	1,751	63%	5,456	3,232	59%	1,839	1,117	61%
असम	9,926	5,064	51%	10,896	5,516	51%	3,257	1,814	56%
बिहार	11,493	4,034	35%	14,309	5,399	38%	1,572	715	45%
चंडीगढ़	1,851	1,098	59%	309	135	44%	14	14	100%
छत्तीसगढ	1,222	539	44%	190	46	24%	114	84	74%
दिल्ली	7,489	4,403	59%	3,296	1,908	58%	29	29	100%
गोवा	17	3	18%	46	44	96%	-	-	0%
गुजरात	10,911	5,768	53%	1,769	836	47%	855	682	80%
हरियाणा	7,957	3,140	39%	2,880	1,118	39%	9	5	56%
हिमाचल प्रदेश	2,021	1,147	57%	1,116	556	50%	87	11	13%
जम्मू और कश्मीर	7,556	4,261	56%	1,554	879	57%	220	46	21%
झारखंड	1,606	923	57%	2,019	1,379	68%	446	387	87%
कर्नाटक	5,030	2,576	51%	4,865	2,424	50%	-	-	0%
केरल	1,213	567	47%	2,601	1,361	52%	561	268	48%
लद्दाख	67	44	66%	-	-	0%	-	-	0%
लक्षद्वीप	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
मध्य प्रदेश	16,010	7,599	47%	10,961	5,059	46%	1,653	826	50%
महाराष्ट्र	8,830	3,980	45%	6,218	4,094	66%	413	236	57%
मणिपुर	4,661	3,070	66%	3,064	2,002	65%	328	165	50%
मेघालय	1,604	1,075	67%	4,847	2,844	59%	1,709	1,076	63%
मिजोरम	1,438	986	69%	1,445	875	61%	-	-	0%
नागालैंड	2,836	1,692	60%	701	479	68%	302	110	36%
ओडिशा	3,704	1,582	43%	3,450	1,659	48%	154	82	53%
पुदुचेरी	2,128	1,223	57%	509	482	95%	-	-	0%
पंजाब	17,251	9,519	55%	7,812	3,681	47%	372	263	71%
राजस्थान	17,189	7,690	45%	13,605	6,501	48%	558	209	37%
सिक्किम	1,479	653	44%	631	415	66%	-	-	0%
तमिलनाडु	6,016	4,517	75%	1,253	914	73%	219	207	95%
तेलंगाना	6,724	3,460	51%	3,422	1,760	51%	198	118	60%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	230	185	80%	-	-	0%	-	-	0%
त्रिपुरा	1,420	766	54%	2,363	973	41%	1,015	464	46%
उत्तर प्रदेश	29,879	13,417	45%	15,764	8,330	53%	2,818	1,346	48%
उत्तराखंड	9,026	5,412	60%	3,535	1,797	51%	16	1	6%
पश्चिम बंगाल	6,946	3,322	48%	3,715	1,954	53%	182	114	63%

पीएमकेवीवाई 3.0												
राज्य	वित्तीय वर्ष 20-21			वित्तीय वर्ष 21-22			वित्तीय वर्ष 22-23			वित्तीय वर्ष 23-24		
	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %	कुल नियोजित	नियोजित महिला	महिला %
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
आंध्र प्रदेश	-	-	0%	1,201	551	46%	221	77	35%	-	-	0%
अरुणाचल प्रदेश	-	-	0%	61	35	57%	489	323	66%	88	63	72%
असम	-	-	0%	858	254	30%	1,870	1,000	53%	27	23	85%
बिहार	-	-	0%	1,532	614	40%	1,283	608	47%	-	-	0%
चंडीगढ़	-	-	0%	93	70	75%	59	59	100%	-	-	0%
छत्तीसगढ	-	-	0%	378	137	36%	592	395	67%	9	8	89%
दिल्ली	21	21	100%	446	324	73%	183	124	68%	-	-	0%
गोवा	-	-	0%	1	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
गुजरात	-	-	0%	304	137	45%	447	337	75%	13	6	46%
हरियाणा	-	-	0%	1,128	621	55%	151	57	38%	-	-	0%
हिमाचल प्रदेश	-	-	0%	464	327	70%	487	400	82%	-	-	0%
जम्मू और कश्मीर	-	-	0%	572	367	64%	1,460	937	64%	41	39	95%
झारखंड	-	-	0%	257	150	58%	601	473	79%	-	-	0%
कर्नाटक	-	-	0%	1,254	675	54%	134	108	81%	-	-	0%
केरल	-	-	0%	493	221	45%	268	115	43%	38	38	100%
लद्दाख	-	-	0%	-	-	0%	119	89	75%	-	-	0%
लक्षद्वीप	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
मध्य प्रदेश	-	-	0%	1,688	791	47%	2,564	1,632	64%	26	2	8%
महाराष्ट्र	-	-	0%	871	440	51%	107	38	36%	67	36	54%
मणिपुर	-	-	0%	-	-	0%	212	211	100%	-	-	0%
मेघालय	-	-	0%	24	23	96%	228	134	59%	-	-	0%
मिजोरम	-	-	0%	182	155	85%	116	109	94%	-	-	0%
नागालैंड	-	-	0%	62	52	84%	74	11	15%	-	-	0%
ओडिशा	-	-	0%	761	456	60%	139	95	68%	-	-	0%
पुदुचेरी	-	-	0%	239	198	83%	69	30	43%	-	-	0%
पंजाब	-	-	0%	1,725	912	53%	517	278	54%	-	-	0%
राजस्थान	-	-	0%	723	371	51%	2,196	1,051	48%	-	-	0%
सिक्किम	-	-	0%	262	132	50%	165	122	74%	-	-	0%
तमिलनाडु	-	-	0%	2,612	1,890	72%	1,092	818	75%	-	-	0%
तेलंगाना	-	-	0%	1,519	663	44%	210	137	65%	-	-	0%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	0%	32	21	66%	-	-	0%	-	-	0%
त्रिपुरा	-	-	0%	105	80	76%	358	141	39%	-	-	0%
उत्तर प्रदेश	22	9	41%	1,783	898	50%	1,659	1,076	65%	-	-	0%
उत्तराखंड	-	-	0%	414	279	67%	348	187	54%	-	-	0%
पश्चिम बंगाल	-	-	0%	1,618	1,082	67%	584	252	43%	-	-	0%
योग	**43**	**30**	**70%**	**23,662**	**12,926**	**55%**	**19,002**	**11,424**	**60%**	**309**	**215**	**70%**

अनुबंध-□□□

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) - ग्रामीण विकास मंत्रालय महिला उद्यमियों सहित उद्यमियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यक्रम लागू कर रहा है। 2014-15 से 2024-25 के दौरान आरएसईटीआई के तहत प्रशिक्षित और बसने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या:

क्र. सं.	राज्य का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		प्रशिक्षित	नियोजन	प्रशिक्षित	नियोजन	प्रशिक्षित	नियोजन	प्रशिक्षित	नियोजन
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	151	16	135	144	166	126	247	212
2	आंध्र प्रदेश	8787	6216	7249	5720	7178	5778	7566	6705
3	अरुणाचल प्रदेश	70	8	113	4	211	154	139	68
4	असम	6961	2552	8215	3783	8598	6880	7666	6111
5	बिहार	10977	7891	14409	9198	16697	13125	16595	14543
6	छत्तीसगढ़	4997	3375	5996	3270	7440	4622	7644	5416
7	दादरा एंड नगर हवेली	385	256	626	193	639	516	453	317
8	गोवा	0	17	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	18222	10453	24040	13513	20848	23582	18675	19077
10	हरियाणा	7468	3665	7071	5162	6899	6515	7530	5587
11	हिमाचल प्रदेश	3227	3015	3750	2584	4013	4478	4398	3436
12	जम्मू और कश्मीर	5931	3820	6742	4080	5085	4082	4672	3842
13	झारखंड	10159	6676	13921	8425	12700	9499	12967	10449
14	कर्नाटक	15246	12796	16682	8940	16193	13311	14488	14439
15	केरल	8294	6602	9567	6221	11823	8912	8649	9136
16	लक्षद्वीप	41	1	57	34	1	0	10	0
17	मध्य प्रदेश	15127	11079	18604	12602	19949	15253	21513	13886
18	महाराष्ट्र	11672	6989	15066	10968	16186	15965	15393	14745
19	मणिपुर	197	1	174	34	239	201	314	213
20	मेघालय	778	414	728	110	1308	771	1213	597
21	मिजोरम	187	21	334	92	296	357	319	396
22	नागालैंड	148	18	189	41	191	107	179	184
23	ओडिशा	13388	10778	15480	11062	18117	13622	16240	14392
24	पांडिचेरी	445	351	518	263	556	449	558	688
25	पंजाब	7899	4305	8175	5391	8380	7018	7908	7581
26	राजस्थान	17400	12473	17190	11547	20297	18563	20532	14210
27	सिक्किम	132	151	209	145	193	137	268	130
28	तमिलनाडु	14849	9629	15890	10450	15466	12155	14382	13289
29	तेलंगाना	4453	2933	3716	3085	3322	2593	3498	2688
30	त्रिपुरा	2102	1145	1536	759	1782	735	1526	749
31	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश	24698	16249	25347	17023	25527	21882	28346	23581
33	उत्तराखंड	4732	2776	4857	3772	4656	4474	4007	3001
34	पश्चिम बंगाल	7563	5094	8629	6146	9362	6456	8889	7017
	योग	**226686**	**151765**	**255215**	**164761**	**264318**	**222318**	**256784**	**216685**

क्र. सं.	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		प्रशिक्षित	नियोजन	प्रशिक्षित	नियोजन	प्रशिक्षित	नियोजन	प्रशिक्षित	नियोजन
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	312	142	352	213	290	130	407	367
2	आंध्र प्रदेश	6284	5393	6485	4515	3637	2794	5961	5089
3	अरुणाचल प्रदेश	234	30	105	133	8	23	128	0
4	असम	8299	5784	8387	5325	5688	3608	7849	6666
5	बिहार	16706	12637	14648	11450	8760	6089	12828	9206
6	छत्तीसगढ़	8945	6608	9348	6344	6635	4310	7612	6385
7	डी एंड एन हवेली	584	398	557	383	493	403	520	418
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	18999	15004	17688	12861	10593	7148	14701	12124
10	हरियाणा	8662	4453	9374	6417	8518	4753	9022	6572
11	हिमाचल प्रदेश	4188	3009	4073	2661	2889	1751	4346	2959
12	जम्मू और कश्मीर	4639	3284	4618	3662	3033	2124	3403	2519
13	झारखंड	14246	9457	12762	10769	9449	6333	12049	9444
14	कर्नाटक	15171	11456	14775	12445	10295	7653	12696	11246
15	केरल	8008	7541	7941	7402	4099	3750	5092	4842
16	लक्षद्वीप	0	0	36	0	158	96	93	33
17	मध्य प्रदेश	23736	14609	21362	14353	15848	11639	17931	15122
18	महाराष्ट्र	16386	12543	17601	14249	13998	10295	14620	12275
19	मणिपुर	324	214	306	247	147	214	281	217
20	मेघालय	908	866	1087	628	799	506	1439	755
21	मिजोरम	333	268	556	548	292	231	412	388
22	नागालैंड	274	330	209	126	164	58	202	180
23	ओडिशा	17589	14194	17269	12953	14249	10487	14788	13088
24	पांडिचेरी	520	398	541	388	422	328	446	340
25	पंजाब	7627	4704	6775	3907	6063	4202	7599	5732
26	राजस्थान	21052	15947	21310	14620	17338	10063	20634	17132
27	सिक्किम	264	114	223	350	147	51	165	115
28	तमिलनाडु	14843	11510	19715	12157	12358	9409	14119	12227
29	तेलंगाना	3331	2614	3765	3049	2186	1692	3807	3548
30	त्रिपुरा	1425	1309	1493	936	1399	395	1981	1376
31	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0	0	235	101	261	123	466	271
32	उत्तर प्रदेश	34636	23705	35508	27717	36429	20291	47894	41746
33	उत्तराखंड	5520	3894	5134	4125	4935	3635	5361	3675
34	पश्चिम बंगाल	9755	6278	9897	6976	5214	3954	8255	6343
	योग	**273800**	**198693**	**274135**	**202010**	**206794**	**138538**	**257107**	**212400**

क्र. सं.	राज्य का नाम	2022-23		2023-24		2024-25 (31.10.24 तक)	
		प्रशिक्षित	नियोजन	प्रशिक्षित	नियोजन	प्रशिक्षित	नियोजन
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	373	397	489	441	362	298
2	आंध्र प्रदेश	8565	7187	8936	7027	7050	5058
3	अरुणाचल प्रदेश	239	243	300	141	428	113
4	असम	12137	9524	14811	9882	12169	5237
5	बिहार	16365	14496	17466	15125	15649	9343
6	छत्तीसगढ़	9749	9061	9957	8154	8557	4269
7	डी एंड एन हवेली	628	492	643	461	392	265
8	गोवा	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	19290	15390	21845	14827	16837	10279
10	हरियाणा	11823	7721	12701	9425	10924	4227
11	हिमाचल प्रदेश	5596	3747	6460	4956	5319	2697
12	जम्मू और कश्मीर	5826	4716	6418	4680	9688	4028
13	झारखंड	16027	12107	16947	12648	12081	6220
14	कर्नाटक	17397	13881	17345	14416	13090	7359
15	केरल	7951	6938	8703	6801	7038	4316
16	लक्षद्वीप	444	282	381	312	323	152
17	मध्य प्रदेश	25123	20086	28372	22608	22951	13345
18	महाराष्ट्र	20915	17112	22192	18017	18386	12219
19	मणिपुर	590	562	908	745	1260	387
20	मेघालय	1534	1295	2024	1345	1996	916
21	मिजोरम	555	495	628	600	827	438
22	नागालैंड	184	208	349	147	151	66
23	ओडिशा	18611	16317	20046	18288	13860	7617
24	पांडिचेरी	667	633	746	607	552	236
25	पंजाब	8401	6839	9470	7676	7770	3876
26	राजस्थान	26712	23016	29256	24135	19965	13966
27	सिक्किम	332	269	262	243	628	275
28	तमिलनाडु	22636	18014	25365	21076	20002	11544
29	तेलंगाना	4929	4327	5315	4520	4986	2813
30	त्रिपुरा	2377	1927	3021	2377	2429	935
31	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	508	313	460	334	574	248
32	उत्तर प्रदेश	48633	41883	49257	43662	39359	26015
33	उत्तराखंड	6047	4793	6920	5243	6639	2595
34	पश्चिम बंगाल	10734	8706	12325	9473	9592	5042
	योग	**331898**	**272977**	**360318**	**290392**	**291834**	**166394**

*****